राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

निगरानी संख्या – 360/2014/भीलवाडा.

श्रीमती शीला देवी पत्नि श्री कृष्ण कुमार दूदलाल (मेघवंशी)
निवासी–10–एफ–88,तिलक नगर, जिला भीलवाडा ...प्रार्थी.

बनाम

1.राजस्थान सरकार जरिए उप पंजीयक एवं मुद्रांक विभाग भीलवाडा
2.पुरूषोत्तम कुमार बहरवानी पुत्र श्री शत्रुघनलाल बहरवानी
निवासी–सी.154,आर.के.कालोनी,भीलवाडा ..अप्रार्थीगण

एकलपीठ
श्री सुनील शर्मा, सदस्य.

उपस्थित ::

श्री कृष्णा गोपाल खत्री
अधिवक्ता .प्रार्थी की ओर से
श्री डी.पी.ओझा,
उप–राजकीय अभिभाषक ...अप्रार्थीगण की ओर से.

निर्णय दिनांक : 09.09.2015

निर्णय

यह निगरानी प्रार्थीया द्वारा राजस्थान मुद्रांक अधिनियम,1998 (जिसे आगे मुद्रांक अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 65 के अन्तर्गत कलक्टर (मुद्रांक) वृत भीलवाडा (जिसे आगे कलक्टर(मुद्रांक) कहा जायेगा) के द्वारा प्रकरण संख्या 377/2007 पारित निर्णय दिनांक 11.09.2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि निगरानीकर्ता प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थी संख्या दो से उनके स्वामित्व का एक आवास गृह संख्या एफ–88,नापती 15 फिट बाई 30 फिट, जो कि नगर विकास न्यास, भीलवाडा की नगर योजना में स्थित है, को रू. 1,20,000/– की मालियत पर क्रय कर विक्रय पत्र पंजीयन हेतु उप पंजीयक के समक्ष दिनांक 29.07.2006 को प्रस्तुत किया। उप पंजीयक ने उक्त विक्रय पत्र से सम्बन्धित सम्पत्ति को कमी मालियत का मानते हुए, उसकी मालियत रू 1,42,902/–तय करते हुए उस पर नियमानुसार देय मुद्रांक शुल्क रू. 9290/– व पंजीयन शुल्क रू. 1430/– जमा कराने पर दिनांक 29.07.2006 को विक्रय पत्र को पंजीकृत करके प्रार्थीया को लौटा दिया। उक्त विक्रय पत्र प्रार्थीया को लौटाने के पश्चात उप पंजीयक,भीलवाडा द्वारा इस दस्तावेज को कमी मालियत का मानते हुए रू. 4800/– की वूसली का प्रार्थीया को नोटिस दिनांक 16.03.2007 को जारी किया, किन्तु उक्त नोटिस प्रार्थीया को बिना तामील कराये रू. 4800/– की वसूली हेतु मुद्रांक अधिनियम की धारा 51/52(2) व 53 के अन्तर्गत रेफरेन्स कलक्टर (मुद्रांक) को प्रस्तुत किया गया। कलक्टर (मुद्रांक) द्वारा रेफरेन्स के सम्बन्ध में अपना पक्ष रखने हेतु प्रार्थीया को नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में किसी के भी उपस्थित नहीं होने पर

प्रश्नगत सम्पत्ति की मालियत रू. 2,06,798/— निर्धारित करते हुए उस पर देय मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क में से पूर्व में अदा की गई मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क को कम करते हुए मुद्रांक कर रू. 4160/—, पंजीयन शुल्क रू.640/— तथा शास्ति रू. 100/— कुल रू. 4900/—से प्रार्थीया से वसूल का करने निर्णय दिनांक 11.09.2007 पारित करने के साथ ही यह भी निर्देश दिये कि सम्बन्धित पक्षकार द्वारा निर्णय दिनांक से 30 दिन के अन्दर राशि जमा नहीं कराने पर 18 प्रतिशत की दर से ब्याज भी निर्णय तिथि से वसूल योग्य होगा। उक्त निर्णय से व्यथित होकर प्रार्थीया द्वारा यह निगरानी मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की गयी है।

मियाद अधिनियम की धारा 5 पर उभयपक्ष को सुना गया। उक्त प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण के द्वारा यह कथन किया गया कि निगरानी अधीन आदेश उनके विरूद्ध एक पक्षीय पारित किया गया था तथा प्रार्थीया को वसूली नोटिस के जरिये उक्त निर्णय की जानकारी प्राप्त होते ही प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की जाकर यह निगरानी प्रस्तुत कर दी गई जो जानकारी दिनांक से अन्दर मियाद है। इस कथन के साथ प्रार्थना की गई है कि प्रार्थना पत्र को अन्दर मियाद शुमार किया जावे। प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थीया ने शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है।

अप्रार्थी राजस्व की ओर से ना तो उक्त प्रार्थना पत्र एंव शपथ पत्र में अंकित तथ्यों का खण्डन करते हुए प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया।

दोनों पक्षों की बहस पर विचार करने के पश्चात न्याय की दृष्टि से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एंव निगरानी अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

निगरानीकर्ता के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में यह कथन किया गया है कि कलक्टर (मुद्रांक) अजमेर द्वारा निगरानी अधीन निर्णय पारित करने में ना तो राजस्थान मुद्रांक नियम 1955 के नियम 66—ए के अन्तर्गत कोई जांच की गई तथा ना ही निगरानी अधीन निर्णय पारित करने में अपने मस्तिष्क का उपयोग किया एंव केवल मात्र एक छपे छपाये साइक्लोस्टाइल्ड प्रारूप में कुछ रिक्त स्थानों को भरकर निगरानी अधीन निर्णय पारित कर दिया गया जो विधिविरूद्ध होने के कारण निरस्त किया जावे। निगरानीकर्ता के अभिभाषक द्वारा यह प्रार्थना भी की गई कि निगरानी अधीन निर्णय निरस्त करते हुए प्रश्नगत दस्तावेज पंजीकृत कराने के पश्चात प्रार्थीया को लौटाने एंव प्रार्थीया द्वारा निगरानी पेश करने करने के लिए जमा कराई गई राशि वापस लौटाये जाने के निर्देश भी दिये जावें।

विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में निगरानी अधीन निर्णय का समर्थन किया गया।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। कलक्टर (मुद्रांक) द्वारा पारित एक पृष्ठीय निगरानी अधीन निर्णय दिनांक 11.09.2007 के अवलोकन से यह स्प्ष्ट है कि उक्त निर्णय पारित किये जाने में कलक्टर (मुद्रांक) द्वारा राजस्थान मुद्रांक नियम, 1955 के नियम 66ए के अन्तर्गत कोई जांच नहीं की गई और ना ही कमी मालियत होने के सम्बन्ध में कोई निष्कर्ष दिया गया है। निगरानी अधीन निर्णय के अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट है कि यह निर्णय एक साइक्लोस्टाइल्ड प्रारूप में कतिपय रिक्त स्थानों को भरकर पारित किया गया है, जिसमें कलक्टर (मुद्रांक) द्वारा अपने मस्तिष्क का उपयोग नहीं किया गया है। फलस्वरूप निगरानी अधीन निर्णय विधि के प्रावधान एंव न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्व होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है।

परिणामतः निगरानी स्वीकार की जाती है एंव कलक्टर (मुद्रांक) का निगरानी अधीन निर्णय दिनांक 11.09.2007 अपास्त किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते हैं कि प्रशनगत दस्तावेज पंजीयन के पश्चात यदि कोई मांग राशि वसूल की गई हो तो प्रार्थीया को लौटाया जावे ।

निर्णय सुनाया गया।

(सुनील शर्मा)
सदस्य